बरसात के साथ सावन की शुरुआत : राजधानी में श्रावण मास की शुरुआत रिमझिम बरसात के साथ हुई। गुरुवार को पूरे दिन सूरज के साथ बादलों की आंख मिचौली भी चलती रही और रह-रहकर बादल शहर को भी भिगोते रहे।

अरेरा कॉलोनी और रोहित नगर में व्यावसायिक गतिविधियों पर निगम की कार्रवाई टली

अवधि पूरी होने के बाद भी खुले रहे अधिकांश प्रतिष्ठान, रहवासियों में नाराजगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के अरेरा कॉलोनी, रोहितनगर और बावड़ियाकलां सहित कई आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों पर नगर निगम की प्रस्तावित कार्रवाई गुरुवार को नहीं हो सकी। निगम की ओर से जारी नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद भी अधिकांश प्रतिष्ठान खुले रहे। कार्रवाई नहीं होने पर रहवासियों ने विरोध जताया और न्यायालय में याचिका लगाने की बात कही।

नगर निगम ने आवासीय परिसरों में व्यावसायिक उपयोग करने वाले कुल 429 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए थे। नोटिस की समय-सीमा पूरी होने के बाद निगम अधिकारियों ने कार्रवाई करने की बात कही थी। अधिकारियों का कहना था कि यदि गतिविधियां जारी मिलीं तो संबंधित प्रतिष्ठानों को अंतिम 24 घंटे का समय दिया जाएगा और इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं होने पर सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि गुरुवार को निगम की टीम मौके पर नहीं पहुंची और व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहीं। इस मामले में अरेरा कॉलोनी सहित कई आवासीय क्षेत्रों के रहवासी लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं। रहवासी पूर्णेंदु शुक्ला एवं अन्य ने इस संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की है। न्यायालय ने मामले में जिला प्रशासन और नगर निगम से जवाब मांगा है।

रहवासियों का आरोप है कि आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत भूखंडों पर नियमों के विपरीत व्यावसायिक निर्माण और गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि नगर निगम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई नहीं करता है तो आगे न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की जाएगी। वहीं व्यापारियों की ओर से भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कार्रवाई का विरोध करते हुए स्थायी समाधान की मांग की है। संगठन ने मिश्रित भू उपयोग व्यवस्था लागू करने की मांग रखी है।

चैंबर पदाधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2005 में लागू विकास योजना के बाद नया मास्टर प्लान नहीं आया है। इसके कारण कई क्षेत्रों में पर्याप्त व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध नहीं हो पाए। ऐसे में कई व्यापारी वर्षों से आवासीय क्षेत्रों में ही अस्पताल, बैंक, क्लीनिक, शोरूम और अन्य सेवाएं संचालित कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि वे नियमित रूप से संपत्ति कर और अन्य शुल्कों का भुगतान कर रहे हैं, इसलिए बिना विकल्प दिए प्रतिष्ठान बंद करने की कार्रवाई उचित नहीं है।

राज्यपाल ने वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम दो हजार छह जनजातीय कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि अधिनियम के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने के लिए समन्वय और विशेष प्रयासों के साथ कार्य करें। जरूरत के अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार नागरिकों का सहयोग भी लिया जाए।

राज्यपाल गुरुवार को लोकभवन में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने जिलेवार प्रगति की जानकारी ली और ग्राम सभाओं की प्रक्रिया को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के कार्यों और वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास दीपाली रस्तोगी ने बताया कि 15 अगस्त को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से वन संसाधन अधिकार अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर जनजागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे और संबंधित विभागों का सहयोग लिया जाएगा। प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य गुलशन बामरा ने प्रदेश में वनाधिकार कार्यों की प्रगति की जानकारी दी।

पीएम ई-बस सेवा की दमदार शुरुआत, पहले ही दिन दो हजार यात्रियों ने किया सफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में शुरू हुई पीएम ई-बस सेवा को पहले ही दिन यात्रियों का शानदार समर्थन मिला। सेवा के पहले दिन करीब 2 हजार यात्रियों ने सफर किया, जबकि 20 हजार रुपये का किराया संग्रह हुआ। बड़ी संख्या में यात्रियों ने यूपीआई, क्यूआर कोड और अन्य डिजिटल माध्यमों से भुगतान किया। डिजिटल भुगतान प्रणाली को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। बसों में चालक को 'कोच कैप्टन' और परिचालक को 'डिजिटल असिस्टेंट' के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

नई सेवा को बुजुर्गों, महिलाओं और विद्यार्थियों ने विशेष रूप से पसंद किया। लंबे समय से बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा का इंतजार कर रहे कोलार-बैरागढ़ क्षेत्र के लोगों में इस सेवा को लेकर खासा

उत्साह देखने को मिला है। यह रूट दोनों क्षेत्रों के बीच ऐसी सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रहा है, जो पहले प्रभावी रूप से उपलब्ध नहीं थी।

वर्तमान में पीएम ई-बस सेवा दो प्रमुख मार्गों पर संचालित की जा रही है। पहला रूट चिरायु अस्पताल से बोर्ड ऑफिस मेट्रो स्टेशन होते हुए बैरागढ़ चिचली (कोलार रोड) तक लगभग 28 किलोमीटर लंबा है। इस मार्ग पर बसें चिरायु अस्पताल, बैरागढ़, लालघाटी, कलेक्ट्रेट, रॉयल मार्केट, पीरगेट, कमला पार्क, रवीन्द्र भवन, रंगमहल, रोशनपुरा, नानके पेट्रोल पंप, मेन रोड नंबर-1, रेड क्रॉस अस्पताल, बोर्ड ऑफिस चौराहा मेट्रो स्टेशन, एमपी नगर मेट्रो स्टेशन, बीजेपी भवन, बिट्टन मार्केट, 1100 क्वार्टर्स हनुमान मंदिर, मनीषा मार्केट, बंसल हॉस्पिटल, चुनाभट्टी चौराहा, कोलार सिक्स लेन रोड, नयापुरा, ललिता नगर, गेहूंखेड़ा और बैरागढ़ चिचली से होकर गुजरती हैं। दूसरा रूट रेलवे कोच फैक्ट्री (रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर-1) से बैरागढ़ चिचली (कोलार रोड) तक लगभग 21 किलोमीटर का है। इस मार्ग में रेलवे कोच फैक्ट्री, द्वारका नगर, रेलवे कॉलोनी, भोपाल रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म-1, पुष्पा नगर, अशोका गार्डन, प्रभात चौराहा, सुभाष नगर, शांति निकेतन, आईएसबीटी, चेतक ब्रिज, बोर्ड ऑफिस चौराहा मेट्रो स्टेशन, एमपी नगर मेट्रो स्टेशन, बीजेपी भवन, बिट्टन मार्केट, 1100 क्वार्टर्स हनुमान मंदिर, मनीषा मार्केट, बंसल हॉस्पिटल, चुनाभट्टी चौराहा, कोलार सिक्स लेन रोड, नयापुरा, ललिता नगर, गेहूंखेड़ा और बैरागढ़ चिचली प्रमुख स्टॉप हैं। पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बसों पर आधारित यह सेवा राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, डिजिटल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यात्रियों की अच्छी प्रतिक्रिया को देखते हुए आने वाले दिनों में इस सेवा के प्रति और अधिक उत्साह बढ़ने की उम्मीद है।

हज-2027 के लिए मध्य प्रदेश को मिलीं 5998 सीटें

नप्र, भोपाल : हज-2027 के लिए मध्य प्रदेश के हज यात्रियों के चयन की प्रक्रिया गुरुवार को ऑनलाइन डिजिटल यादृच्छिक चयन (कुर्रा) के माध्यम से पूरी कर ली गई। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा मुंबई स्थित हज कमेटी कक्ष में आयोजित प्रक्रिया के बाद प्रदेश को 5998 हज सीटों का आवंटन हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के अनुसार इस वर्ष प्रदेश से 10058 वैध आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें 972 आवेदन 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग, 12 आवेदन बिना मेहरम महिला, 65 आवेदन 45 वर्ष से अधिक आयु की बिना मेहरम महिला और 251 प्रतीक्षा सूची के आवेदक शामिल थे। आरक्षित श्रेणी के 1300 आवेदकों का चयन बिना कुर्रा के किया गया। इसके बाद शेष 4698 सीटों के लिए सामान्य श्रेणी के 8758 आवेदकों के बीच ऑनलाइन चयन प्रक्रिया हुई। चयनित और प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को संदेश के माध्यम से सूचना दी जाएगी।

कलेक्टर ने किया केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की नवीन तकनीकों का अवलोकन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश के भोपाल में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने गुरुवार को आईसीएआर - केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में आधुनिक कृषि तकनीकों के विकास में कृषि वैज्ञानिकों एवं विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए खेती के नए उपकरणों और ड्रोन टेक्नोलॉजी फ्रेंडली मशीनों के प्रोटोटाइप का अवलोकन किया। उन्होंने आईसीएआर के सभागार में भोपाल के कृषि विभाग एवं उससे सम्बद्ध विभागों की समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कलेक्टर मिश्रा ने समीक्षा करते हुए बैठक का थीम कृषि कार्यों में नई - नई तकनीकों के माध्यम से किसानों की मेहनत को कम करने और स्मार्ट खेती के माध्यम से अधिक पैदावार की दिशा में कार्य करने के लिए किसानों के एफपीओ और कृषि विभाग को नई - नई तकनीकों का उपयोग अमल में लाने एवं कृषि अभियांत्रिकी संस्थान को नवीन तकनीकों का अधिक से अधिक किसानों को उपलब्ध करवाने की दिशा में काम करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग की समीक्षा करते हुए टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान और योजनाओं की प्रगति पर में गति लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मैदानी स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट के माध्यम से लक्ष्य पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर संस्थान के डायरेक्टर सी. आर.मेहता सहित वैज्ञानिक एवं कृषि अभियांत्रिकी के विद्यार्थी उपस्थित रहे। कलेक्टर मिश्रा ने उप संचालक पशुपालन विभाग को पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान और समय पर टीकाकरण के लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए।

निटर भोपाल को गवर्नमेंट अचीवमेंट्स एंड स्कीम्स एक्सपो में प्रथम पुरस्कार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (निटर), भोपाल को नई दिल्ली में आयोजित गवर्नमेंट अचीवमेंट्स एंड स्कीम्स एक्सपो-2026 में प्रथम पुरस्कार मिला है। संस्थान को शिक्षक विकास एवं तकनीकी शिक्षण पद्धति में उत्कृष्टता श्रेणी में यह सम्मान प्रदान किया गया।

25 से 27 जुलाई तक भारत मंडपम में आयोजित प्रदर्शनी में निटर भोपाल ने शैक्षणिक परामर्श सेवाओं, औद्योगिक सहयोग और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों का प्रदर्शन किया।

संस्थान ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम निर्माण, मूल्यांकन सुधार, तकनीकी शिक्षा और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से जुड़ी उपलब्धियां

प्रदर्शित कीं। संस्थान द्वारा विकसित कई ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से लाखों शिक्षार्थी लाभान्वित हुए हैं।

निटर भोपाल ने वर्ष 2014 से अब तक 2584 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 63114 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। संस्थान की उपलब्धियों को देखते हुए निदेशक प्रो. चन्द्र चारु त्रिपाठी ने टीम को बधाई दी और इसे राष्ट्रीय स्तर पर मिली महत्वपूर्ण पहचान बताया।

गुरु पूर्णिमा पर भक्ति और संगीत में डूबा शहर

आर्ट ऑफ लिविंग के आयोजन में बड़ी संख्या में पहुँचे साधक

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा गुरुवार को रवींद्र भवन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से भरे इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधकों, श्रद्धालुओं और शहरवासियों ने भाग लेकर अपने पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु पूजा और गुरु वंदना की भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुति के साथ हुआ। इसके बाद बड़ौदा से आए प्रसिद्ध भजन गायक गौतम डबीर ने मधुर भजनों की प्रस्तुति दी। गुरु भक्ति, भगवान शिव और देवी मां को समर्पित भजनों ने पूरे सभागार को भक्तिरस से भर

दिया।

भक्ति संगीत के बाद कलाकार ने फिल्मी गीतों और पारंपरिक गरबा की धुनों से वातावरण को उल्लासमय बना दिया। उपस्थित लोगों ने संगीत की मधुर प्रस्तुतियों पर तालियों के साथ कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। आयोजन में गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि यह पर्व गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता का प्रतीक है। यह जीवन में सकारात्मकता, सेवा, मानवता और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। आर्ट ऑफ लिविंग भोपाल ने कार्यक्रम की सफलता के लिए श्रद्धालुओं, स्वयंसेवकों, अतिथियों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

सेवा समाप्ति के विरोध में आउटसोर्स कर्मचारी 5 अगस्त को देंगे धरना

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन राजगढ़-नरसिंहगढ़ शाखा के सेवा से पृथक किए गए आउटसोर्स कर्मचारियों के समर्थन में विरोध शुरू हो गया है। वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के अध्यक्ष अनिल बाजपेई ने कर्मचारियों पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर सेवा समाप्त करने की कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को तत्काल दोबारा सेवा में लिया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों की बहाली नहीं की गई तो आउटसोर्स कर्मचारी 5 अगस्त से मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। बाजपेई ने सेवा समाप्ति की कार्रवाई को न्यायसंगत नहीं बताते हुए कर्मचारियों के हित में निर्णय लेने की मांग की है।

पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए 224 करोड़ छात्रवृत्ति जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 224 करोड़ 75 लाख की राशि स्वीकृत कर जारी की है। इससे विद्यालयों में कक्षा 9वीं-10वीं में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यार्थियों की शिक्षा में आर्थिक बाधाएं दूर करने और उनके शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह राशि जारी की गई है। आयुक्त डॉ. सतेन्द्र सिंह ने कहा कि छात्रवृत्ति का पारदर्शी और सुचारु भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पूरी राशि आयुक्त, लोक शिक्षण को हस्तांतरित कर दी गई है।

मंत्री कृष्णा गौर ने सुनीं कार्यकर्ताओं की समस्याएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मंत्री कृष्णा गौर ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेशभर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी जनसमस्याएं सुनीं।

उन्होंने समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव नहीं था, उन्हें संबंधित विभागों को कार्रवाई और शीघ्र निराकरण के लिए भेजा गया। मंत्री ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल

क्रमांक/ / खनिज/2026 **भोपाल, दिनांक / /2026**

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम, 18 (1-क) के अंतर्गत उत्खनिपट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति (जो भी लागू हो) प्राप्त करने के लिए,

द्वितीय सूचना

यह सूचित किया जाता है कि आवेदक सैयद आहसीन अली आ0 सैयद मोहसिन अली निवासी टी-5 सिटी सेन्टर अपार्टमेंट थाना तलैया के पास सुल्तानिया रोड भोपाल (म.प्र.) द्वारा उत्खनिपट्टा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनाक 24.04.2026 को प्रस्तुत किया गया है। इस क्षेत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रथम सूचना क.जी-13643/26 दिनांक 29.05.2026 प्रकाशित की गई थी। इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपट्टा/पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन ई-खनिज पोर्टल https://ekhanij.mp.gov.in पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

आवेदन का संक्षिप्त

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	भूमि का प्रकार शासकीय/निजी	खनिज का नाम	रिमार्क
भोपाल	हुजूर	खौरी	676,682 683,684, 690	2.0154, 0.1287, 0.3459,0.8657, 0.6443, कुल रकबा 4.000 हे.	शासकीय	खनिज पत्थर (अर्थात केशर के उपयोग हेतु) एवं पत्थर से निर्मित रेत (यांत्रिकी क्रिया द्वारा) एम-सेण्ड, बोल्डर एवं मुरूम	भाग रकबा 4.000 हे.

1 उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय सायं 05:30 बजे तक) ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते है, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।

3. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो पुनः 15 दिवस की अवधि आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित कर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अन्य आवेदक भी उपरोक्त आवेदित क्षेत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत्त कर सकेंगे। उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रो को म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।

4. यदि प्रथम एवं द्वितीय विज्ञप्ति के उपरांत भी निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार हानि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।

5. निर्धारित समयायधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

प्रभारी अधिकारी, (खनिज) जिला भोपाल

जी-16456/26

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पश्चिम बैतूल सामान्य वनमंडल

(अंतिम रूप से राजसात वाहनों के निर्वर्तन हेतु विज्ञप्ति की सूचना)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पश्चिम बैतूल (सा.) वनमंडल के अंतर्गत अंतिम रूप से राजसात वाहन जैसा है, जहां है उसी स्थिति में विक्रय हेतु निम्नानुसार निविदा आमंत्रित सील बंद लिफाफे में करना संसूचित है। निविदा फार्म की शर्ते एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में कार्यालय पश्चिम बैतूल (सा.) वनमण्डल से प्राप्त की जा सकती है।

क्रं.	स्थल जहां वाहन खड़ा है	वाहन क्रमांक/चेचिस	वन अपराध क्रमांक	दिनांक	वाहन का प्रकार	मॉडल वर्ष
1	परि. कार्या. चिचोली (सा.)	MP-48-A-4591	730/29	16.12.2017	ट्रेक्टर मय ट्रॉली	2011
2	परि. कार्या. चिचोली (सा.)	MP-48-A-8421	730/27	16.12.2017	ट्रेक्टर मय ट्रॉली	2014
3	परि. कार्या. चिचोली (सा.)	MP-48-A-8418	730/34	16.12.2017	ट्रेक्टर मय ट्रॉली	2014

निविदा फार्म का मूल्य 100/- रू. है, जो वनमंडल कार्यालय से क्रय कर सकते है। निविदा फार्म के साथ प्रति वाहन (प्रति वाहन हेतु सत्यकार राशि पृथक-पृथक) (चार पहिया) वाहन हेतु रु. 10,000/- एवं मोटर साईकल हेतु रूपये 2000/- का बैंक ड्राफ्ट, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम बैतूल (सा.) वनमण्डल के पक्ष में देय, जमानत के तौर पर जमा करना होगा। निविदा फार्म के साथ आधार कार्ड छायाप्रति, पेनकार्ड की छायाप्रति तथा बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। निविदाकार द्वारा वाहन क्रय करने पर नियमानुसार 18 प्रतिशत जी.एस.टी. की राशि देय होगी।

प्रथम निविदा हेतु

निविदा फार्म प्रदाय करने की तिथि / समय, दिनांक 30.07.2026 से 06.08.2026 तक कार्यालयीन दिन एवं समय में निविदा जमा करने की तिथि समय दिनांक 06.08.2026 समय 02:00 बजे अपरान्ह में निविदा खोलने का दिनांक/समय दिनांक 06.08.2026, समय 05:00 बजे अपरान्ह में

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम बैतूल सामान्य वनमंडल

जी-16463/26